


सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री फूलदेव गंडू पिता स्व० लक्ष्मण गंडू एवं श्री आनन्द कुमार पिता खेमलाल गंडू निवासी ग्राम: आरा, थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 अधिनियम के तहत ग्राम: आरा, थाना सं: 55 (रैयती) खाता सं. 115 के अधीन प्लॉट सं. 150, 291, 293, 295, 304, 347, 428, 540, 541 & 1114; कुल रकबा - 04.00 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: आरा, थाना सं: 55 (रैयती) खाता सं. 115 के अधीन प्लॉट सं. 150, 291, 293, 295, 304, 347, 428, 540, 541 & 1114; कुल रकबा - 04.00 एकड़ रैयती भूमि, जिसे सी बी ए, 1957 अधिनियम के अन्तर्गत अधिगृहित किया गया है के तहत श्री फूलदेव गंडू पिता स्व० लक्ष्मण गंडू एवं श्री आनन्द कुमार पिता खेमलाल गंडू निवासी ग्राम: आरा, थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।


03/09/2022